

कार्यालय:

राज्य प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश (लखनऊ)

संख्या:- प्राविध/परिषद/सम्बद्धता/2021/3537

संलग्नक दिनांक: 08/08/2021

कार्यालय,प्राध:

राज्य प्राविधिक लखनऊ शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/पारसो कार्यालय और इण्डियन नई दिल्ली द्वारा प्रेषित सं. 2021-22 हेतु निर्देशों के अंतर्गत राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षा संस्थानों को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद (राज्य) लखनऊ ने सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 08/08/2021 को प्राविधिक कार्यलय में सम्बद्धता समिति की बैठक созमा हुई। बैठक में समिति द्वारा सं. 2021-22 हेतु प्राविधिक नई संस्थाओं की सम्बद्धता पूर्व से प्राविधिक संस्थाओं की सम्बद्धता मिलान। परराज्य प्रवेश क्षमता सुद्धि सीमित अन्य सभी पर विचार/अन्य हेतु सं. 2021-22 हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में किए गये निर्णय के अनुसार में निर संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उा प्र लखनऊ द्वारा सं. 2021-22 हेतु प्राविधिक नई के अंतर्गत परराज्य प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है-

संस्था का कोड एवं नाम :- 4831-NIRMALA DEVI POLYTECHNIC COLLEGE NAIRSAID, JAUNPUR

क्र.सं.	पाराध्यक्रम का नाम	राज्य प्राविधिक लखनऊ द्वारा प्राविधिक नई द्वारा सं. 2021-22 हेतु अनुमोदन प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सं. 2021-22 हेतु अनुमोदन प्रवेश क्षमता
1	CIVIL ENGINEERING	60	60
2	ELECTRICAL ENGINEERING	60	60
3	ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING	60	60
4	MECHANICAL ENGINEERING (AUTOMOBILE)	60	60
5	MECHANICAL ENGINEERING (PRODUCTION)	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था राज-राई/राई/राई/राई/राई/राई द्वारा प्राविधिक की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद (राज्य) लखनऊ तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियम/सं. 1982, संशुद्धि/विनियम/सं. 2014 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं दिशिकाओं का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन अंशों में परराज्य प्रवेश हेतु रू० 20180.00/- प्रतिवर्ष, दो वार्षिक कार्यवाही परराज्य हेतु रू०-

40000.00/- प्रतिवर्ष) एवं एक लाख (1) लक्ष पचासहजार (15) लक्ष पचासहजार के अतिरिक्त) हेतु रु. 22500.00/- प्रतिवर्ष कुल ही-प्रत्येक वर्षवार) से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त उत्पन्न/आसमी से एक के सम्यक में सम्यक-समय पर बालक द्वारा निर्मित किये जाने वाले छात्रादीय प्रभावी होने और अनुसूच जाति/जाती किये जाने आवश्यक होगा। प्रति निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु पीस का पूर्णनिर्धारण किया जाता है, तो पीस की महीना/वर्ष 2021-22 होगी।

- ✓ संस्था को उपरोक्त आवंटित शिक्षा समितियां एवं एवं समितिके संघर्षों को सम्यक किया जाते विनियमावली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में समुक्त प्रवेश परीक्षा परीषद द्वारा आवंटित शर्तों की ही प्रवेश दिया जाएगा। शीटों के रिक्त एवं जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ संस्था को सम्यक-समय पर निर्मित बालनाटकों के अनुसार निरीक्षण एवं सम्यकता सुनिश्चय करना करना होगा।
- ✓ संस्था को 10-आईआईटी/टीआईआईटी/आईआईटी से सम्बन्धी रूप हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बनाने वाले विधि/विधायी-अधिनियमों/परामर्शों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राथमिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, समुक्त प्रवेश परीक्षा परीषद, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परीषद, उत्तर प्रदेश द्वारा बनाने वाले विधायी, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ शिक्षा/सा इत कार्यालय परियोजना की सम्यक यदि पी.पी.आई. आई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असमर्थ रहती है तो इस संस्था में सम्यक परियोजना/संस्था का होगा और शिक्षा/सा में किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राथमिक शिक्षा परीषद, समुक्त प्रवेश परीक्षा परीषद, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश सरकार को कोई तरह काका किया जाता है एवं उत्तर प्रदेश के संबंध में मा. विद्यालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेशों निर्मित किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ शिक्षा/सा इत कार्यालय परियोजना समाप्त करने वाली संस्थाओं को समुक्त प्रवेश परीक्षा परीषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्राथमिक वर्ष के लिए, आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु आवन्तिलिपि प्राप्त होने के पूर्व पी.पी.आई.आई.टी. से अनुमोदन प्राप्त कर परीषद कार्यालय को उपलब्ध कराया होगा। अगस्त तक परीक्षा की (काल-निर्धारण) के सम्बन्ध में आका संस्था स्वयं पर लक्ष्य प्रवेश। अनुमति नहीं प्राप्त की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्मित नवीन/आवश्यक विद्यालयों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की वित्तीय/भूमि, स्टॉक, बाजार, सञ्च, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला सुनिश्च, छात्र/छात्रा सुनिश्च आदि का विवरण उपलब्ध कराया होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षा-निरीक्षण हेतु उपरोक्त परियोजना उपलब्ध करने के साथ शैक्षणिक स्थलों के सम्यक में समस्त आवश्यक आवश्यक सुनिश्चय करनी होगी।
- ✓ संस्था में सुनिश्चय है कि संस्था में प्रत्येक संवत्गत परियोजना को बनाने वाले हेतु निरीक्षण समिति के सम्यक उपलब्ध बनाने वाले अतिरिक्त, भूमि/भवन, कार्यालय, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य परियोजना के बनाने में प्रयोग किया जाता है और परीषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था को सम्यक/समय पर सूचित किये जाने की अनुमति की जाएगी।
- ✓ संस्था के वल्लोय निरीक्षण टैलर यदि संस्था में भूमि, भवन, परियोजना, उपकरण एवं अन्य सार-सञ्च 10-आईआईटी/टीआईआईटी/आईआईटी/आईआईटी/आईआईटी/आईआईटी के माता/पिता/उपलब्ध नहीं प्राप्त जाता है तो संस्था को सम्यक/समय पर सूचित कर दी जाएगी।
- ✓ सम्यकता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में निष्कनुसार अनुसूच/आसमी कार्यवाही की जाएगी।

(सुनील कुमार जोगकर्)

अधिव

संख्या:

संसाधन-प्रशिक्षण/सीएच/संसाधन/2021/3535-4000

दिनांक: 08/08/2021

प्रति,

प्रधानाचार्य/प्रिन्सिपल, NIRMALA DEVI POLYTECHNIC COLLEGE NAINSAND, JAUNPUR



(सुनील कुमार मिश्रा)

सचिव

- ✓ **अनुसूचित जाति** का अर्थ है उन लोगों को जो **ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र** वर्गों से अलग हैं।
- ✓ **अनुसूचित जाति** का अर्थ है उन लोगों को जो **ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र** वर्गों से अलग हैं।
- ✓ **अनुसूचित जाति** का अर्थ है उन लोगों को जो **ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र** वर्गों से अलग हैं।
- ✓ **अनुसूचित जाति** का अर्थ है उन लोगों को जो **ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र** वर्गों से अलग हैं।
- ✓ **अनुसूचित जाति** का अर्थ है उन लोगों को जो **ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र** वर्गों से अलग हैं।
- ✓ **अनुसूचित जाति** का अर्थ है उन लोगों को जो **ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र** वर्गों से अलग हैं।
- ✓ **अनुसूचित जाति** का अर्थ है उन लोगों को जो **ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र** वर्गों से अलग हैं।
- ✓ **अनुसूचित जाति** का अर्थ है उन लोगों को जो **ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र** वर्गों से अलग हैं।
- ✓ **अनुसूचित जाति** का अर्थ है उन लोगों को जो **ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र** वर्गों से अलग हैं।
- ✓ **अनुसूचित जाति** का अर्थ है उन लोगों को जो **ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र** वर्गों से अलग हैं।

92
 [Signature]
 [Name]

क्रमांक - 10/10/2019/100-2019

दिनांक - 15-6-2019

स्थान - [Location]

[Signature]
 [Name]